न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट नदबई

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

मुकदमा संख्या 01 / 2020

अर्न्तगत धारा 136 एलआर एक्ट

निर्णय दिनांक 2.4.24

1. रामेश्वर पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह.नदबई (भरतपुर)
2. नरेन्द्र पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह.नदबई (भरतपुर)
3. कृष्ण कुमार पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह.नदबई (भरतपुर)
4. नरेन्द्र पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह.नदबई (भरतपुर)
5. जीतेन्द्र पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह.नदबई (भरतपुर)
6. भागवती वेवा सुखदेव जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तह.नदबई (भरतपुर)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता श्री श्यामसिंह डागुर एड.(प्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्यामसिंह डागुर द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल आर एक्ट पेश किया। जिसका संक्षेपसार निम्न

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:32:02 IST
Reason: SelfAttested

1

2/4/24

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

प्रकार है। आराजी खसरा न. 580 रकवा 0.13 है, 581 रकवा 0.78, 582 रकवा 0.20, 583 रकवा 0.01, 584 करवा 0.37, 585 रकवा 0.22 किता 6 कुल रकवा 1.71 है. वाके ग्राम जहांगीरपुर सबतहसील लखनपुर में स्थित है, जो कि मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 के मुताविक खसरा न. 421 रकवा 6 बीघा 15 विस्वा से वनाये गये हैं, हाल जमाबंदी संबत 2075–2078 व साविक रिकॉर्ड पेश है। उक्त प्रार्थना पत्र की विवादित भूमि प्रार्थीगण के पिता सुखदेव पुत्र सुफेद जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता सं. 381 के मुताविक 135/2 खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी सुफेद व चन्दन पुत्र अमोली विवादित भूमि में 67/2 व 67/2 अर्थात 1/2 साविक खसरा न. 421 रकवा 6 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार काश्तकार थे। प्रार्थीगण के पिता सुखदेव के फौत होने के बाद प्रार्थीगणों का विरासत दाखिल खारिज सं. 76 दिनांक 24.06.2016 को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर दिया गया और उसे गिरदावर रिपोर्ट मुताबिक दिनांक 25.06.2016 को तहसीलदार नदबई द्वारा स्वीकार किया गया। दाखिल खारिज सं. 736 का जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अमल कर नोट लगा दिया गया है, मृतक सुखदेव के स्थान पर सुखदेव के वारिसान प्रार्थीगणों का नोट सही दर्ज किया गया लेकिन संवत 2075 से 2078 की नई जमाबंदी बनाते समय विवादित भूमि को खाता सं. 310 में प्रत्येक हिस्सेदार वाहिस्सा बराबर अलग–अलग बटे में दर्ज किया गया। प्रार्थीगणों के पिता का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा होने से प्रत्येक प्रार्थीगणों को 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज करना चाहिये था लेकिन प्रार्थीगणों को नई जमाबंदी में संवत 2075–2078 में 1/30 का गलत अंकन कर दिया गया है जिसे प्रार्थीगण [illegible] प्रत्येक का 1/12 हिस्सा दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रार्थना [illegible] की विवादित भूमि खाता सं. संवत 2071 से 2074 के मुताबिक नई जमाबंदी संवत 2075 से 2078 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:32:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

हिस्सेदारों का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि सुखदेव के वारिसान को 1/30 के स्थान पर 1/12 हिस्से का प्रतयेक को खातेदार दुरूस्त किया जावे। खातेदार हुक्म के वारिसान का प्रत्येक को 1/35 का सही दर्ज तथा चंदन के वारिसान प्रत्येक 1/10 हिस्सां का दर्ज किया जाना चाहिये लेकिन चंदन की दो हिस्सों को 2/15 गलत दर्ज कर दिया गया है जिसके स्थान पर 1/30 हिस्से का उसका अंकन कर दुरूस्त किया जाना चाहिये था, इस प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी गलत खातेदारी इन्द्राजों को दुरूस्त कर हाल जमाबंदी में सही हिस्से दर्ज करवाना चाहते हैं। अंत में प्रार्थना है कि मृतक सुखदेव के वारिसान प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 के हाल जमाबंदी में दर्ज 1/30 हिस्से को दुरूस्त करते हुये साबिक रिकॉर्ड के आधार पर मृतक सुखदेव के 1/2 हिस्से में से प्रत्येक प्रत्येक को 1/12 हिस्से का दर्ज करने के आदेश जारी किये जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा दिनांक 09.04.2021 को जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत पेश किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण का विरासत दाखिला खारिज सं. 736 दिनांक 24.06.2016 हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व करने हेतु साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पेश किये गये नकल जमाबन्दी 2075–2078, नकल जमाबंदी संवत 2071–2074, नकल दाखिला खारिज सं. 736, नकल मिसल बंदोबस्त संवत 2060, नकल दाखिला खारिज सं. 297, नकल जमाबंदी संवत 2035 वाके ग्राम जहांगीरपुर पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:32:02 IST
Reason: SelfAttested

2/9/24
उपखण्ड अधिकारी
(भरतपुर)

Scanned with CamScanner

हमने प्रार्थी वकील की बहस को सुना, प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। प्रार्थी वकील के कथन रहे कि प्रार्थीगण रामेश्वर, नरेन्द्र, कृष्णकुमार, नरेन्द्र, जीतेन्द्र के पिता एवं श्रीमति भागवती के पति सुखदेव पुत्र सुफेद का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा होने से प्रत्येक प्रार्थीगणो को नई जमाबंदी संवत 2075–2078 में 1/30 हिस्सा का गलत अंकन कर दिया, जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाकर अपने हिस्से को 1/12 शुद्ध करवाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड पेश किया गया जिसका अवलोकन व मनन करने के बाद यह पाया कि प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह प्रार्थीगण की विवादित आराजी के हिस्से में संशोधन करने बाबत पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगणों की घोषणा से संबंधित है, जो घोषणात्मक दावा के अन्तर्गत पेश किया जाना उचित है। प्रार्थी वकील अपना प्रार्थना पत्र सिद्ध करने में असफल रहा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:32:02 IST
Reason: SelfAttested

2/5/24
(गंगाधर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner